Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 17, Issue No. 1, April-2020, ISSN 2230-7540

73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् महेन्द्रगढ़ एवम् कुरुक्षेत्र जिले में नारी सशक्तिकरण व ग्राम पंचायत की भूमिका का व्यवहारिक अध्ययन

Dr. Madhu*

Assistant Professor in Political Science, Isharjyot Degree College Pehowa, Kurukshetra, Haryana, India

***सारांश** - नारी सशक्तिकरण व ग्राम पंचायत की भूमिका का अध्ययन करने के लिए महिलाओं को उनकी आयु के अनुसार बँटवारा, महिलाओं की विवाहिक स्थिति, महिलाओं के जीवन पर पंचायती कार्यों की उपयोगिता, पंचायत का महिलाओं के प्रति व्यवसाय का बँटवारा, पंचायतों द्वारा नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मुख्य कारक तथा ग्राम पंचायत की महिला सदस्य का नारी सशक्तिकरण के ज्ञान का अध्ययन किया गया। जिला कुरुक्षेत्र और महेन्द्रगढ़ में 100 उतरदाता महिलाओं में से पंचायत द्वारा नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मुख्य कारकों का भी अध्ययन किया गया। जिला कुरुक्षेत्र में 100 उतरदाता महिलाओं में से 8% प्रतिवादी महिलाओं को प्रशिक्षण, 28% प्रतिवादी महिलाओं को उद्यमिता कौशल, 31% प्रतिवादी महिलाओं को अनुदान, 5% प्रतिवादी महिलाओं को समन्वय, 5% प्रतिवादी महिलाओं को गैर सरकारी संस्थानों से सहायता, 13% प्रतिवादी महिलाओं को सरकारी संस्थानों से सहायता तथा 10% प्रतिवादी महिलाओं को परिवार से सहायता आदि की आवयशकता है जिनके कारण वें पंचायती राज में अपनी भागीदारी को बढ़ा सकती है (तालिका 1.6)। उसी प्रकार जिला महेन्द्रगढ़ में 100 उतरदाता महिलाओं में से 11% प्रतिवादी महिलाओं को प्रशिक्षण, 6% प्रतिवादी महिलाओं को उद्यमिता कौशल, 41% प्रतिवादी महिलाओं को अनुदान, 9% प्रतिवादी महिलाओं समन्वय, 9% प्रतिवादी महिलाओं को गैर सरकारी संस्थानों से सहायता, 20% प्रतिवादी महिलाओं को सरकारी संस्थानों से सहायता तथा 4% प्रतिवादी महिलाओं को परिवार से सहायता आदि की आवयशकता है जिनके कारण वें पंचायती राज में अपनी भागीदारी को बढ़ा सकती है (तालिका 1.7)।*

***कुंजी शब्द** – हरियाणा, ग्रामीण पंचायती राज, नारी सशक्तिकरण*

----------X----------

परिचय

स्वतन्त्रता के बाद भारत के संविधान में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए। इसी कारण आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर देश की महिलाएं आसीन रही है। देश के लिए यह भी गौरव की बात है कि देश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेसकर, श्रीमति सरोजनी नायडू, किरण बेदी, मेघा पाटेकर व कल्पना चावला जैसीं महिलाओं का योगदान सराहनिय रहा है।1 भारत सरकार ने वर्ष 2001 को "महिलाओं के सशक्तिकरण" वर्ष के रूप में घोषित किया था। भारतीय महिलाओं को अपराधों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक और सामाजिक दशाओं में सुधार करने हेतु ढ़ेर सारे कानून बनाए गए हैं।[2]

हरियाणा भारत देश का एक विकसित राज्य हैं। हरियाणा में लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरूषों की तुलना में 879 महिलाएं है। इस तथ्य के अनुसार लिंगानुपात प्रति एक हजार पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या में हरियाणा देश के सबसे ख़राब राज्यों में गिना जाता है। वर्तमान सरकार के अनुसार हरियाणा राज्य में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु हरियाणा में आज भी महिलाओं के साथ बहुत बुरी दुर्घटनाएं होती रहती है। वर्ष 2008 से लेकर 2017 तक हरियाणा में 8,650 किडनेपिंग; 5,380 दहेज़ रुपी घटनाएँ तथा 13,649 ससुराल

www.ignited.in

पक्ष द्वारा दुर्व्यवहार की घटनाएँ आदि के मामले दर्ज हुए है।[3]

वास्तव में महिलाओं की दयनीय स्थिति का मूल कारण महिलाओं के प्रति पुरुषों की असंवेदनशीलता हैं। हरियाणा में महिलाएं अपनी इच्छा से चुनाव नहीं लड़ती हैं बल्कि वे अपने परिवार के सदस्यों की इच्छा से चुनाव लड़ती हैं। गाँवों की पंचायतों में महिलाओं को बोलने तक नहीं दिया जाता है। यहाँ तक जो विजयी महिला उम्मीद्वार होती है उसे यह भी नहीं पता होता कि ग्राम पंचायत में कौन–कौन से कार्य हो रहे हैं।

हरियाणा की पंचायती चुनावों में महिलाएं केवल आरक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़ती है जो कि यहाँ के समाज की एक मज़बूरी है। वरना यहाँ के लोग महिला उम्मीदवारों को पंचायती चुनावों में चुनाव लड़वाना ही नहीं चाहते। यहाँ पर समाज की सोच है कि महिलाएं केवल घर पर कार्य करने के लिए होती है। अत: हरियाणा की पंचायती राज में महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय है।[4]

अध्ययन क्षेत्र

हरियाणा (27° 39′ ओर 30° 55′ उत्तरी अक्षांश से लेकर 74° 27′ ओर 77° 36′ पूर्वी देशांतर) उत्तर-पश्चिम भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चण्डीगढ़ है।

जिला कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र जिला (76° 26′ और 77° 04′ उत्तरी अक्षांश से लेकर 29° 52′ ओर 30° 52′ पूर्वी देशांतर) भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा के 22 जिलों में से एक है (चित्र 1)। इसकी स्थापना 23 जनवरी, 1973 को हुई थी। यह जिला अम्बाला मण्डल का एक भाग है। यह हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अम्बाला, यमुना नगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। जिला कुरुक्षेत्र दिल्ली और अमृतसर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (शेर शाहं सूरी मार्ग) और रेलमार्ग पर स्थित है।

जिला महेन्द्रगढ: महेन्द्रगढ (29° 52′ और 30° 12′ उत्तरी अक्षांश से लेकर 76° 26′ ओर 77° 04′ पूर्वी देशांतर) हरियाणा का एक जिला है। इस जिले की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय नारनौल में है। कानौड़िया ब्राहम्णों द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंन्द्रगढ़ शहर पहले कानौड के नाम से जाना जाता था। इस शहर को बाबर के एक सेवक मलिक महदूद खान ने बसाया था। सत्रहवीं शताब्दी में मराठा शासक तांत्या टोपे ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराज नरेन्द्र सिहं ने अपने पुत्र मोहिन्द्र सिहं के सम्मान में इस किले का नाम महेंन्द्रगढ़ रख दिया था।5

चित्र : 1 अध्ययन क्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र और महेन्द्रगढ़ , हरियाणा (भारत)|

शोध पद्धति

वर्तमान अध्ययन कुरुक्षेत्र तथा महेंन्द्रगढ़ जिले में जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक किया गया है। इसके लिए कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा तहसील में गाँव धनीपुर, थानेसर तहसील में गाँव फतेहपुर तथा शाहबाद तहसील में गाँव सलीमपुर का चयन किया गया। उसी प्रकार महेन्द्रगढ जिले में नारनौल तहसील में गाँव बास किरारोद उमराबाद, अटेली तहसील में गाँव बिहाली तथा नांगल चौधरी तहसील में गाँव नांगल कालिया का चयन किया गया। धनीपुर, फतेहपुर ओर सलीमपुर गाँव में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के लोग रहते है। उसी प्रकार महेन्द्रगढ़ जिले के गाँव बास किरारोद उमराबाद अनुसूचित जाति बहुमूल्य तथा बिहाली तथा नांगल कालिया अन्य पिछड़ा वर्ग बहुमूल्य क्षेत्र है।[6,7]

वर्तमान अध्ययन में कुरुक्षेत्र तथा महेन्द्रगढ़ जिले में सभी जातिय श्रेणी की महिलाओं का अलग-अलग उतरदाता लिया गया। जिसमें प्राथमिक और द्वितियक आकड़ो का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आकड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्नावली बनाकर तथा द्वितियक आकड़ो को विभिन्न सरकारी अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त किया गया।[5]

www.ignited.in

नारी सशक्तिकरण व ग्राम पंचायत की भूमिका

जिला कुरुक्षेत्र में 100 उतरदाता महिलाओं का चयन किया गया। इनमें 42-47 वर्ष की प्रतिवादी महिलाओं की संख्या 22% तथा 60 वर्ष से ज्यादा प्रतिवादी महिलाओं की संख्या 2% थी। उसी प्रकार जिला महेन्द्रगढ़ में 100 उतरदाता महिलाओं में 42-47 वर्ष की प्रतिवादी महिलाओं की संख्या 20% तथा 60 वर्ष से ज्यादा प्रतिवादी महिलाओं की संख्या 2% थी (तालिका 1.1 तथा चित्र 1.1)।

जिला कुरुक्षेत्र तथा महेन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि महिलाओं की विवाहित स्थिति का भी अध्ययन किया गया। जिला कुरुक्षेत्र में 100 उतरदाता महिलाओं में 8% अविवाहित प्रतिवादी महिलाएं, 81% विवाहित प्रतिवादी महिलाएं, 7% विधवा प्रतिवादी महिलाएं तथा 4% तलाक़शुदा प्रतिवादी महिलाएं थी। जिला महेन्द्रगढ़ में उतरदाता महिलाओं में 13% अविवाहित प्रतिवादी महिलाएं, 81% विवाहित प्रतिवादी महिलाएं, 3% विधवा प्रतिवादी महिलाएं तथा 3% तलाक़शुदा प्रतिवादी महिलाएं थी (तालिका 1.2 तथा चित्र 1.2)।

जिला कुरुक्षेत्र तथा महेन्द्रगढ़ में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का महिलाओं के जीवन पर उपयोगिता का अध्ययन किया। जिला कुरुक्षेत्र में 100 उतरदाता

तालिका 1.1 जिला कुरुक्षेत्र और महेन्द्रगढ़ में 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् हरियाणा में नारी सशक्तिकरण में ग्राम पंचायत की भूमिका का व्यावहारिक अध्ययन के लिए महिलाओं को उनकी आयु के अनुसार बँटवारा।

क्रमांक	आयु (वर्ष)	जिला कुरुक्षेत्र		जिला महेन्द्रगढ		कुल (200)
		प्रतिनिधि महिलाएं	प्रतिनिधि महिलाएं (%)	प्रतिनिधि महिलाएं	प्रतिनिधि महिलाएं (%)	प्रतिशत
1	18-23	16	16%	18	18%	17.00%
2	24-29	14	14%	15	15%	14.50%
3	30-35	14	14%	15	15%	14.50%
4	36-41	18	18%	17	17%	17.50%
5	42-47	22	22%	20	20%	21.00%
6	48-53	10	10%	11	11%	10.50%
7	54-59	4	4%	2	2%	3.00%
8	60 से अधिक	2	2%	2	2%	2.00%
	कुल योग	100	100%	100	100%	100%

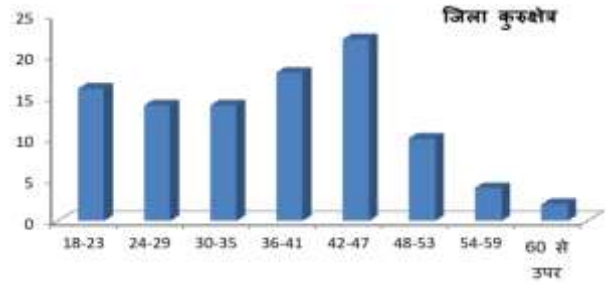

(अ)

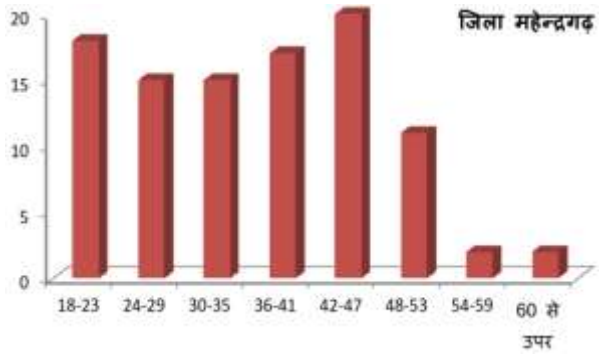

(ब)

चित्र 1.1: (अ) जिला कुरुक्षेत्र तथा (ब) महेन्द्रगढ़ में 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् हरियाणा में नारी सशक्तिकरण में ग्राम पंचायत की भूमिका का व्यावहारिक अध्ययन के लिए महिलाओं को आयु के अनुसार बँटवारा ।

तालिका 1.2: जिला कुरुक्षेत्र और महेन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि महिलाओं की विवाहित स्थिति।

क्रमांक	विवाहित स्थिति	जिला कुरुक्षेत्र		जिला महेन्द्रगढ़		कुल (200)
		प्रतिनिधि महिलाएं	प्रतिनिधि महिलाएं (%)	प्रतिशत	प्रतिनिधि महिलाएं (%)	प्रतिशत
1	अविवाहित प्रतिवादी महिलाएं	8	8%	13	13%	10.50%
2	विवाहित प्रतिवादी महिलाएं	81	81%	81	81%	81.00%
3	विधवा प्रतिवादी महिलाएं	7	7%	3	3%	5.00%
4	तलाकशुदा प्रतिवादी महिलाएं	4	4%	3	3%	3.50%
5	कुल योग	100	100%	100	100%	100%

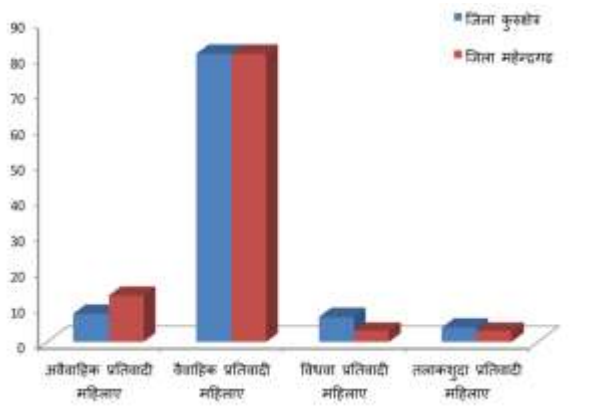

चित्र 1.2: जिला कुरुक्षेत्र और महेन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि महिलाओं की वैवाहित स्थिति।

महिलाओं में से 34% प्रतिवादी महिलाएं लघु उधोग स्थापित करना; 38% प्रतिवादी महिलाएं स्वास्थय के प्रति जागरूक करना; 44% प्रतिवादी महिलाएं, महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करना; 22% प्रतिवादी महिलाएं, महिला के अधिकारों को लागू करना; 34% प्रतिवादी महिलाएं पंचायती कार्यों के प्रति महिलाओं को स्वतन्त्रता देना तथा 40% प्रतिवादी महिलाएं सभी जातिय महिला सदस्य को समान अधिकार देना आदि का ज्ञान था (तालिका 1.3)। उसी प्रकार

जिला महेन्द्रगढ़ की 100 उतरदाता महिलाओं में से 28% प्रतिवादी महिलाएं लघु उधोग स्थापित करना; 41% प्रतिवादी महिलाएं स्वास्थय के प्रति जागरूक करना; 56% प्रतिवादी महिलाएं, महिला अधिकारो के प्रति जागरूक करना; 31% प्रतिवादी महिलाएं, महिला के अधिकारो को लागू करना; 32% प्रतिवादी महिलाएं पंचायती कार्यों के प्रति महिलाओं को स्वतन्त्रता देना तथा 22% प्रतिवादी महिलाएं सभी जातिय महिला सदस्य को समान अधिकार देना आदि का ज्ञान था (तालिका 1.4)।

पंचायत का महिलाओं के प्रति व्यवसाय के बटवारें का भी अध्ययन किया गया। जिला कुरुक्षेत्र में 100 उतरदाता महिलाओं में से 21% प्रतिवादी महिलाएं कृषि से, 6% प्रतिवादी महिलाएं डेयरी से, 4% प्रतिवादी महिलाएं पशुपालन से, 42% प्रतिवादी महिलाएं घरेलू पत्नी, 17% प्रतिवादी महिलाएं कुशल मजदूर, 6% प्रतिवादी महिलाएं अकुशल मजदूर तथा 4% प्रतिवादी महिलाएं दूसरे कार्यो से संबन्धित है (तालिका 1.5 तथा चित्र 1.3)। उसी प्रकार जिला महेन्द्रगढ़ में 100 उतरदाता महिलाओं में से 19% प्रतिवादी महिलाएं कृषि से, 2 प्रतिवादी महिलाएं डेयरी से, 3% प्रतिवादी महिलाएं पशु-पालन से, 51% प्रतिवादी महिलाएं घरेलू

तालिका 1.3: जिला कुरुक्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा महिलाओं के जीवन पर पंचायती कार्यों की उपयोगीता का अध्ययन।

क्रमांक	पंचायती कार्य	प्रतिवादी महिलाएं	
		हाँ(%)	नहीं(%)
1	लघु उधोग स्थापित करना	34%	66%
2	स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना	38%	72%
3	महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करना	44%	56%
4	महिला के अधिकारों को लागू करना	22%	78%
5	पंचायती कार्यों के प्रति महिलाओं को स्वतंत्रता देना	34%	66%
6	सभी जाति वर्ग की महिलाओं को समान अधिकार देना	40%	60%

तालिका 1.4: जिला महेन्द्रगढ़ में ग्राम पंचायत द्वारा महिलाओं के जीवन पर पंचायती कार्यों की उपयोगीता का अध्ययन।

क्रमांक	पंचायती कार्य	प्रतिवादी महिलाएं	
		हाँ(%)	नहीं(%)
1	लघु उधोग स्थापित करना	28%	72%
2	स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना	41%	59%
3	महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करना	56%	44%
4	महिला के अधिकारों को लागू करना	31%	69%
5	पंचायती कार्यों के प्रति महिलाओं को स्वतंत्रता देना	32%	68%
6	सभी जाति वर्ग की महिलाओं को समान अधिकार देना	22%	78%

तालिका 1.5: जिला कुरुक्षेत्र और महेन्द्रगढ़ में ग्राम पंचायत द्वारा महिलाओं के प्रति व्यवसाय के बँटवारे का अध्ययन।

क्रमांक	व्यावसाय	जिला कुरुक्षेत्र		जिला महेन्द्रगढ़		कुल (200)
		प्रतिनिधि महिलाओं की संख्या	प्रतिनिधि महिलाओं की प्रतिशत	प्रतिनिधि महिलाओं की संख्या	प्रतिनिधि महिलाओं की प्रतिशत	प्रतिशत
1	कृषि	21	21	19	19	20.00%
2	डेयरी	6	6	2	2	4.00%
3	पशु-पालन	4	4	3	3	3.50%
4	घरेलू पत्नी	42	42	51	51	41.50%
5	कुशल मजदूर	17	17	19	19	18.00%
6	अकुशल मजदूर	6	6	3	3	4.50%
7	दूसरे कार्य	4	4	3	3	3.50%
8	कुल योग	100	100	100	100	100%

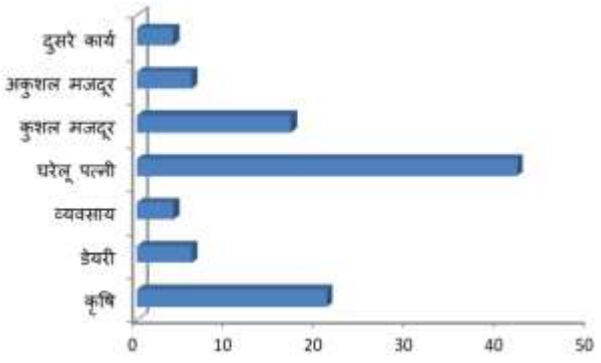

(अ)

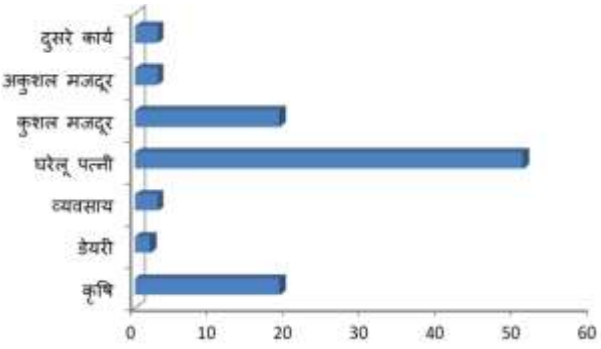

(ब)

चित्र 1.3: जिला (अ) कुरुक्षेत्र और (ब) महेन्द्रगढ़ में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के प्रति व्यावसाय के बँटवारे का अध्ययन।

पत्नी, 19% प्रतिवादी महिलाएं कुशल मजदूर, 3% प्रतिवादी महिलाएं अकुशल मजदूर तथा 3% प्रतिवादी महिलाएं दूसरे कार्यो से संबन्धित है (तालिका 1.5 तथा चित्र 1.3)।

जिला कुरुक्षेत्र और महेन्द्रगढ़ में 100 उतरदाता महिलाओं में से पंचायत द्वारा नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मुख्य कारकों का भी अध्ययन किया गया। जिला कुरुक्षेत्र में 100 उतरदाता महिलाओं में से 8% प्रतिवादी महिलाओं

www.ignited.in

को प्रशिक्षण, 28% प्रतिवादी महिलाओं को उद्यमिता कौशल, 31% प्रतिवादी महिलाओं को अनुदान, 5% प्रतिवादी महिलाओं को समन्वय, 5% प्रतिवादी महिलाओं को गैर सरकारी संस्थानों से सहायता, 13% प्रतिवादी महिलाओं को सरकारी संस्थानों से सहायता तथा 10% प्रतिवादी महिलाओं को परिवार से सहायता आदि की आवयशकता है जिनके कारण वें पंचायती राज में अपनी भागीदारी को बढ़ा सकती है (तालिका 1.6)। उसी प्रकार जिला महेन्द्रगढ़ में 100 उतरदाता महिलाओं में से 11% प्रतिवादी महिलाओं को प्रशिक्षण, 6% प्रतिवादी महिलाओं को उद्यमिता कौशल, 41% प्रतिवादी महिलाओं को अनुदान, 9% प्रतिवादी महिलाओं समन्वय, 9% प्रतिवादी महिलाओं को गैर सरकारी संस्थानों से सहायता, 20% प्रतिवादी महिलाओं को सरकारी संस्थानों से सहायता तथा 4% प्रतिवादी महिलाओं को परिवार से सहायता आदि की आवयशकता है जिनके कारण वें पंचायती राज में अपनी भागीदारी को बढ़ा सकती है (तालिका 1.7)।

जिला कुरुक्षेत्र तथा महेन्द्रगढ़ में उतरदाता महिलाओं में नारी सशक्तिकरण के महत्व का भी अध्ययन किया गया। जिला कुरुक्षेत्र में उतरदाता महिलाओं में नारी सशक्तिकरण के प्रति 52% प्रतिवादी महिलाएं बहुत उपयोगी सहमत, 39% प्रतिवादी महिलाएं उपयोगी सहमत तथा 9% प्रतिवादी महिलाएं उपयोगी सहमत नहीं है (तालिका 1.8 तथा चित्र 1.4)।

तालिका 1.6: जिला कुरुक्षेत्र में पंचायतों द्वारा नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारकों का वर्गीकरण।

क्रमांक	कारक	प्रतिनिधि महिलाओं की संख्या	प्रतिनिधि महिलाओं की प्रतिशत
1	प्रशिक्षण की आवश्कता	8	8
2	उद्यमिता कौशल की आवश्कता	28	28
3	अनुदान की आवश्कता	31	31
4	समन्वय की आवश्कता	5	5
5	गैर सरकारी संस्थानों से सहायता की आवश्कता	5	5
6	सरकारी संस्थानों से सहायता की आवश्कता	13	13
7	परिवार से सहायता की आवश्कता	10	10
	कुल योग	100	100

तालिका 1.7: जिला महेन्द्रगढ़ में पंचायतों द्वारा नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मुख्य कारकों का वर्गीकरण।

क्रमांक	कारक	प्रतिनिधि महिलाओं की संख्या	प्रतिनिधि महिलाओं की प्रतिशत
1	प्रशिक्षण की आवश्कता	11	11
2	उद्यमिता कौशल की आवश्कता	6	6
3	अनुदान की आवश्कता	41	41
4	समन्वय की आवश्कता	9	9
5	गैर सरकारी संस्थानों से सहायता की आवश्कता	9	9
6	सरकारी संस्थानों से सहायता की आवश्कता	20	20
7	परिवार से सहायता की आवश्कता	4	4
	कुल योग	100	100

उसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में उतरदाता महिलाओं में नारी सशक्तिकरण के प्रति 40% प्रतिवादी महिलाएं बहुत उपयोगी सहमत, 52% प्रतिवादी महिलाएं उपयोगी सहमत तथा 8% प्रतिवादी महिलाएं उपयोगी सहमत नहीं है (तालिका 1.9 तथा चित्र 1.4)।

जिला कुरुक्षेत्र में ग्राम पंचायत की महिला सदस्यों में नारी सशक्तिकरण तथ्य का अध्ययन भी किया गया। 100 उतरदाता महिलाओं में से 60% प्रतिवादी महिलाएं बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, 55% प्रतिवादी महिलाएं समाज और परिवार से अच्छा आदर, 55% प्रतिवादी महिलाएं निर्वाह दशा मे बदलाव, 60% प्रतिवादी महिलाएं स्वयं द्वारा निर्णय लेना, 45% प्रतिवादी महिलाएं समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ना, 85% प्रतिवादी महिलाएं परिवार से सहयोग, 54% प्रतिवादी महिलाएं शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता, 55% प्रतिवादी महिलाएं शिक्षा के प्रति जागरूकता, 70% प्रतिवादी महिलाएं सामाजिक ज्ञान के प्रति जागरूकता, 40% प्रतिवादी महिलाएं महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना, 35% प्रतिवादी महिलाएं स्वयं के लिए धन कमाना तथा उसको खर्च करने की आजादी, 30% प्रतिवादी महिलाएं पारिवारिक संपति को बचने तथा खरीदने की आजादी, 55% प्रतिवादी महिलाएं आर्थिक व्यवसाय के माध्यम से जीवन शैली मे बदलाव, 35% प्रतिवादी महिलाएं शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरी छुट, 60% प्रतिवादी महिलाएं अगले चुनाव लड़ने के लिए पूरा आत्मविश्वास, 45% प्रतिवादी महिलाएं महिला संगठनों के प्रति पूरी शोहरत मे रुचि, 70% प्रतिवादी महिलाएं ग्राम पंचायत सदस्य बनने के बाद पूरी तरह खुश तथा 60% प्रतिवादी महिलाएं ग्रामीण विकास मे बदलाव आदि चाहती है (तालिका 1.10)।

तालिका 1.8: जिला कुरुक्षेत्र में ग्राम पंचायत में महिला सदस्य का नारी सशक्तिकरण से सहमति का अध्ययन।

क्रमांक	कारक	प्रतिनिधि महिलाओं की संख्या	प्रतिनिधि महिलाओं की प्रतिशत
1	बहुत उपयोगी सहमत	52	52%
2	उपयोगी सहमत	39	39%
3	उपयोगी सहमत नहीं	9	9%
4	कुल योग	100	100%

तालिका 1.9: जिला महेन्द्रगढ़ में ग्राम पंचायत में महिला सदस्य का नारी सशक्तिकरण से सहमति का अध्ययन।

क्रमांक	कारक	प्रतिनिधि महिलाओं की संख्या	प्रतिनिधि महिलाओं की प्रतिशत
1	बहुत उपयोगी सहमत	40	40%
2	उपयोगी सहमत	52	52%
3	उपयोगी सहमत नहीं	8	8%
4	कुल योग	100	100%

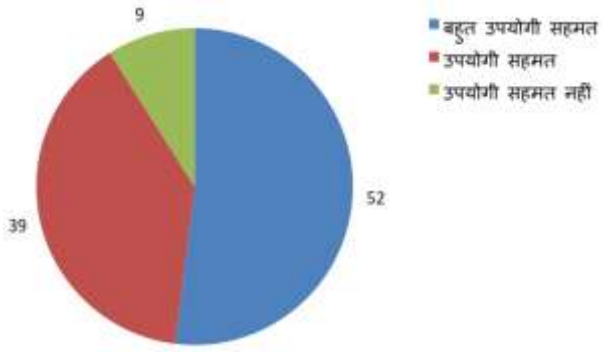

(अ)

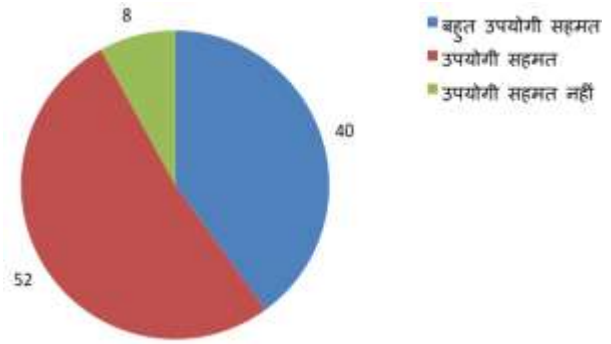

(ब)

चित्र 1.4: (अ) जिला कुरुक्षेत्र और (ब) महेन्द्रगढ़ में ग्राम पंचायत की महिला सदस्य का नारी सशक्तिकरण से सहमति का अध्ययन।

तालिका 1.10: जिला कुरुक्षेत्र में ग्राम पंचायत की महिला सदस्यों में आयें परिवर्तनों का अध्ययन अध्ययन।

क्रमांक	सशक्तिकरण तत्व	जिला कुरुक्षेत्र		जिला महेन्द्रगढ़	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	बढ़ता हुआ आत्मविश्वास	60%	40%	50%	50%
2	समाज और परिवार से अच्छा आदर	55%	45%	55%	45%
3	निर्वाह दशा में बदलाव	55%	45%	60%	40%
4	स्वयं द्वारा निर्णय लेना	60%	40%	35%	65%
5	समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ना	45%	55%	45%	55%
6	परिवार से सहयोग	85%	15%	60%	40%
7	शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता	54%	55%	60%	40%
8	शिक्षा के प्रति जागरूकता	55%	45%	35%	65%
9	सामाजिक ज्ञान के प्रति जागरूकता	70%	30%	70%	30%
10	महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना	40%	60%	40%	60%
11	स्वयं के लिए धन कमाना तथा उसको खर्च करने की आजादी	35%	65%	65%	35%
12	पारिवारिक सम्पति को बचने तथा खरीदने की आजादी	30%	70%	35%	65%
13	आर्थिक व्यवसाय के माध्यम से जीवन शैली मे बदलाव	55%	45%	60%	40%
14	शक्ति प्रदर्शन के लिय पूरी छुट	35%	65%	45%	55%
15	अगले चुनाव लड़ने के लिए पूरा आत्मविश्वास	60%	40%	65%	35%
16	महिला संगठनों के प्रति पूरी शोहरत मे रुचि	45%	55%	50%	50%
17	ग्राम पंचायत सदस्य बनने के बाद पूरी तरह खुश	70%	30%	70%	30%
18	ग्रामीण विकास मे बदलाव	60%	40%	65%	35%

उसी प्रकार जिला महेन्द्रगढ़ में ग्राम पंचायत की 100 उत्तरदाता महिलाओं में से 50% प्रतिवादी महिलाएं बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, 55% प्रतिवादी महिलाएं समाज और परिवार से अच्छा आदर, 60% प्रतिवादी महिलाएं निर्वाह दशा मे बदलाव, 35% प्रतिवादी महिलाएं स्वयं द्वारा निर्णय लेना, 45% प्रतिवादी महिलाएं समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ना, 60% प्रतिवादी महिलाएं परिवार से सहयोग, 60% प्रतिवादी महिलाएं शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता, 35% प्रतिवादी महिलाएं शिक्षा के प्रति जागरूकता, 70% प्रतिवादी महिलाएं सामाजिक ज्ञान के प्रति जागरूकता, 40% प्रतिवादी महिलाएं महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना, 65% प्रतिवादी महिलाएं स्वयं के लिए धन कमाना तथा उसको खर्च करने की आजादी, 35% प्रतिवादी महिलाएं पारिवारिक सम्पति को बचने तथा खरीदने की आजादी, 60% प्रतिवादी महिलाएं आर्थिक व्यवसाय के माध्यम से जीवन शैली मे बदलाव, 45% प्रतिवादी महिलाएं शक्ति प्रदर्शन के लिय पूरी छुट, 65% प्रतिवादी महिलाएं अगले चुनाव लड़ने के लिए पूरा आत्मविश्वास, 50% प्रतिवादी महिलाएं महिला संगठनों के प्रति पूरी शोहरत मे रुचि, 70% प्रतिवादी महिलाएं ग्राम पंचायत सदस्य बनने के बाद पूरी तरह खुश तथा 65% प्रतिवादी महिलाएं ग्रामीण विकास मे बदलाव आदि चाहती है (तालिका 1.10)।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

1. रमेश कुमार, "73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तीन वर्ष और पंचायती राज", कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 8।
2. रजनी कोठारी, "भारत में राजनीति", ओरिएण्ट लोगमैन लिमिटेड, नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ संख्या 31।
3. चतुर्वेदी, टी.अन. और जैन आर. के., "पंचायती राज इंडियन इंस्टिट्यूट", कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1998, पृष्ठ संख्या 117।
4. विश्वमित्र प्रताप चौधरी, "भारत में पंचायती राज का उदभव एवम् विकास", पुष्पांजलि प्रकाशन, दिल्ली, 2009, पृष्ठ संख्या 156।
5. मनीष कुमार, "ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका", कुरुक्षेत्र, 2007, पृष्ठ संख्या 21।
6. सरोज चोपड़ा, "स्थानीय स्वशासन", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000, पृष्ठ संख्या 16।
7. सुरेन्द्र कटारिया, "पंचायती राज का भविष्य", कुरुक्षेत्र, अगस्त, 2007, पृष्ठ संख्या 9।

8. प्रमोद कुमार अग्रवाल, "भारत में पंचायती राज", कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ संख्या 14।

Corresponding Author

Dr. Madhu*

Assistant Professor in Political Science, Isharjyot Degree College Pehowa, Kurukshetra, Haryana, India

ajayindorakuk@yahoo.com